राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3417/2023

डॉ. गुलाम मोहयुद्दीन सैय्यद **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, जयपुर।
3. डॉ. मोहम्मद साजिद आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.12.2023
आदेश की दिनांक : 12.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 21.12.2023 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड में यथावत कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर जिला झालावाड में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 21.12.2023 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है जबकि राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण/आदेशों की प्रतीक्षा आदेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध आदेश दिनांक 04.01.2023 के द्वारा लगाया गया है, फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आदेश को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी को उक्त आलोच्य

आदेश के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, जो कि राजस्थान सेवा नियम के नियम 25क के विपरीत जाकर आलोच्य आदेश जारी किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 21.12.2023 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड में यथावत कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि आलोच्य आदेश दिनांक 21.12.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक अत्यावश्यकता के आधार पर किया गया है एवं नियोक्ता को यह अधिकार प्राप्त है कि कार्मिक की सेवाएं राज्य हित में कहीं पर भी ली जा सकती हैं। इस प्रकार आलोच्य आदेश में किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान् अधिवक्ता ने लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह बहस की है कि अपीलार्थी वर्ष 2014 से एक ही स्थान पर कार्यरत है और 9 वर्ष बाद अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर जिला झालावाड में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 21.12.2023 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। जहां तक अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण आदेशों पर पूर्ण रूप से लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 04.01.2023 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि राज्य सरकार के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर दिनांक 15.01.2023 से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है एवं अति आवश्यक प्रकृति के स्थानान्तरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति के पश्चात् ही किए जा सकेंगे। जबकि आलोच्य आदेश लगाए गए प्रतिबंध के दौरान जारी किया गया है जो उक्त आज्ञा/परिपत्र के विपरीत है। विभाग द्वारा जारी किया गया आलोच्य आदेश राजस्थान सेवा नियम, 1951 के

नियम 25क एवं परिशिष्ट–ix के प्रावधानों के भी विपरीत आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुये उसे मुख्यालय निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देश दिये गए हैं। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील उक्त आधारों पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलोच्य आदेश दिनांक 21.12.2023 को अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे जहां पर वह चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व पदस्थापित था।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य